संख्या-२५६/92-1-2018-65एम/2014

(12)

प्रेषक,

मो0इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव,
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(2) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(3) निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

ग्रामीण अभियंत्रण अनु0-1 लखनऊः दिनॉक 30 जुलाई, 2018

विषयः-ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के टेण्डर/कार्यों में पारदर्शिता एवं शुचिता लाने तथा माफिया गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के टेण्डर/कार्यों में माफिया गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने, एवं मानक के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-6/2018/256/78-2-2018-42(IT)/2017टी0सी0, दिनांक-24.04.2018 के द्वारा दस लाख से उपर के कार्यों के लिए ई-टेण्डरिंग व्यवस्था लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश सं0 867/62-3-2007-149डब्लू/2005टी0सी0/29.06.2007, सं0-868/62-3-2007-149डब्लू/2005टीसी दिनॉक-29.06.2007, संख्या-3877/62-3-2008-149डब्लू/2005टी0सी0, दिनॉक 06.08.2008, संख्या-5451/62-3-2007-149डब्लू/2005टीसी, दिनॉक 28.11.2007, 5683/62-3-2008-149डब्लू/2005टीसी, दिनॉक 23.01.2009, सं0-2784/62-3-09-149डब्लू/05 टीसी, दिनॉक 17.08.2009 को अवकमित करते हुये ग्रा0अभि0वि0 के टेण्डर आदि में असामाजिक तत्वों, अपराधियों और माफिया समूहों पर प्रभावी रोकथाम के लिये निम्नलिखित निर्देश जारी किये जा रहे हैं, जिसके अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय :-

1. ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों एवं दरों को ही अंगीकार किया जाता है। अतएव मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पूर्ववर्ती सन्दर्भित पत्र दिनांक 02.11.2006 के पैरा-1 में वर्णित मार्गदर्शी सिद्धान्त के आलोक में लोक निर्माण विभाग (नोडल विभाग) द्वारा शासनादेश संख्या-8/2017/836/23-7-17-176(सा0)/06, दिनांक 29 जून, 2017 निर्गत किया गया है जिसमें सभी विन्दुओं को सम्मिलित करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है। इसका कठोरता से अनुपालन इस विभाग द्वारा भी सुनिश्चित किया जाय।

2. शासनादेश संख्या-6/2018/256/78/-2-2018-4215/2017टीसी, दिनॉक 24.04.2018 के द्वारा रूपये दस लाख तक सीमा वाले कार्यों के अतिरिक्त सभी कार्यों के लिए ई-टेण्डरिंग व्यवस्था लागू किये जाने के कारण टेन्डर फार्म की बिकी की व्यवस्था समाप्त की जाती है। ई-टेण्डरिंग पद्धति से निविदा आमंत्रित एवं प्राप्त की जायेगी। प्राप्त निविदा को निविदा समिति द्वारा निर्धारित समय पर खोली जायेगी तथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। अभिलेखों की पवित्रता (Sanctity)पर विशेष ध्यान दिया जाय। निविदा पूलिंग की आशंका होने पर समिति द्वारा समस्त निविदाओं को अस्वीकार करने की संस्तुति की जायेगी।

3. शासनादेश संख्या-868/62-3-2007-149डब्ल्यू/2005टीसी, दिनांक 29.06.2007 द्वारा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में नये चरित्र प्रमाण पत्र और हैसियत प्रमाण पत्र के प्रारुप जारी किये गये है। चरित्र प्रमाण पत्र आर0ई0डी0-टी0-4 और हैसियत प्रमाण पत्र आर0ई0डी0-टी0-5 के नाम से जाने जाते है। दोनों प्रमाण पत्र संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे। उनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी द्वारा यह प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किये जायेंगे। गृह (पुलिस) अनुभाग-14, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-1624/छः-पु0-14-2013-50(7)/2006, दिनांक 20.05.2013 के कम में चरित्र प्रमाण पत्र व हैसियत प्रमाण पत्र को जनपद की वेबसाइट पर अपलोड कराया जायेगा। जिलाधिकारी नियमित अन्तराल पर प्रतिवर्ष इन प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करायेंगे तथा यह सुनिश्चित करायेंगे कि आपराधिक गतिविधियों में लिप्त किसी व्यक्ति को यह प्रमाण पत्र जारी न हो सके। ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के अधिकारी ठेकेदारों के पंजीकरण से पूर्व तथा कार्य आवंटित करने से पूर्व इन प्रमाण पत्रों को सत्यापन सुनिश्चित करेगें। उत्तर प्रदेश सहित भारत के दूसरे राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के जिलाधिकारियों/डिप्टी कमिश्नर/समकक्ष अधिकारी द्वारा उपरोक्त प्रारूपों में निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र व हैसियत प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे। परन्तु सभी का सत्यापन कराया जाना आवश्यक होगा। अन्य शासकीय विभागों हेतु जारी उक्त प्रमाण पत्र ग्रा0अभि0वि0में भी मान्य होंगे।

4. जिलाधिकारी द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र बहुत गहराई से छानबीन और जांच के पश्चात ही जारी किये जायेंगे। रैन्डमली कुछ प्रमाण पत्रों का समय-समय पर उच्चस्तरीय टीम गठित करके औचक जांच भी करायी जानी आवश्यक है तथा इन हैसियत प्रमाण पत्रों का बैंक से और आयकर विभाग से भी पुष्टि करायी जाय। जिलाधिकारी द्वारा हैसियत प्रमाण पत्रों का लेखा-जोखा जनपद की वेबसाइट पर अपलोड कराया जायेगा तथा समय-समय पर इसका सत्यापन भी कराया जायेगा।

ठेका देने से पूर्व ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के संबंधित अधिकारियों द्वारा भी इसका सत्यापन कराया जाय।

5. ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन तथा ठेकेदारी के माध्यम से कार्य कराये जाने के संबंध में विभागीय नियम और व्यवस्थाएं पूर्व से निर्धारित है। किसी भी

बार कौंसिल में पंजीकृत अधिवक्ता को, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के कार्यों को करने का ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि ठेका स्वीकृत होने के पश्चात् भी यह तथ्य संज्ञान में आता है तो भी ऐसा ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।

6. पंजीकरण के कार्य हेतु एक आनलाइन साफटवेयर विकसित किया जायेगा, जिसमें पंजीकृत ठेकेदार अथवा फर्म की दशा मे सभी साझीदारो की आधार संख्या, मोबाइल नं0, ई–मेल, नाम, पता, पैनकार्ड संख्या, पंजीकरण कोड संख्या, उनके द्वारा पंजीकरण के समय प्रस्तुत किये गये अभिलेखों एवं उनकी सत्यापन आंख्याओं का विवरण तथा इस पंजीकरण के सापेक्ष कराये गये कार्यों का विवरण, ठेकेदार यदि डिबार/ब्लैकलिस्ट किया गया है तो उसका विवरण प्रोप्राइटर अथवा साझीदारों के नाम सहित पूरा ब्यौरा रखा जायेगा।

7. जो ठेकेदार/फर्म समय से पहले अपना पंजीकरण समाप्त करवाकर जमानत धनराशि वापस ले लेते हैं, भविष्य मे उन्हे कम से कम एक वर्ष तक पुनः पंजीकृत नहीं किया जायेगा।

8. कतिपय प्रकरणों मे यह पाया गया है कि किसी ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट/डिबार करने के पश्चात संबंधित ठेकेदार अपने परिवारजनों के नाम से अथवा फर्म/कम्पनी का नाम बदल कर दूसरा रजिस्ट्रेशन कराने का प्रयास करते है। किसी ठेकेदार/फर्म/कम्पनी को यदि नियमानुसार ब्लैकलिस्ट/डिबार किया गया हो तो वह ठेकेदार स्वयं अथवा उस फर्म/कम्पनी का प्रत्येक पार्टनर/प्रोप्राइटर/डायरेक्टर ब्लैकलिस्टेड की श्रेणी में आता है। अतः ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति यदि पंजीकरण के लिए स्वयं अथवा किसी फर्म/कम्पनी के पार्टनर/निदेशक की हैसियत से पंजीकरण के लिए आवेदन करता है तो उस आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
इसके लिये पंजीकरण के समय बेव साइट से मिलान करने का दायित्व प्रखन्डीय लेखाधिकारी का होगा तथा इस आशय का एक प्रमाणपत्र भी अनिवार्य होगा।

9. रिट याचिका सं0–11एम0बी0/2011 रघुवीर बहादुर सिन्हा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.01.2011 द्वारा ग्रामीण आबादी में स्थित पैतृक/संयुक्त परिवारों के भवनों/सम्पत्ति का मूल्यांकन करके हैसियत प्रमाण–पत्र के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी करने के आदेश दिये गये है। इस संबंध में लो0नि0वि0 द्वारा जारी शासनादेश सं0–2689/23–7–12–176(सा0)/06टीसी, दिनांक 20.09.2012 निर्गत किया गया है। इसका अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

10. ठेकेदारों के पंजीकरण के समय लिये जाने वाले हैसियत प्रमाण पत्र के संबंध में निम्नवत् निर्देश किया जाते हैं:–

(अ) दो या अधिक साझेदारों वाली फर्म/कम्पनी के नाम से पंजीकरण कराते समय फर्म/कम्पनी के नाम का हैसियत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। इस संबंध में महानिरीक्षक, निबन्धक उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–501/शि0का0लखा0/2003, दिनांक 27.03.2003 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(ब) एकल स्वामित्व(सोल प्रोपराइटर) फर्म जो व्यापार कर विभाग में पंजीकृत हों, के मामलों में ट्रेड नेम अथवा लीगल नेम से निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र को मान्यता दी जायेगी।

(स) लो0नि0वि0 की भाँति ग्रामीण अभियत्रण विभाग में भी अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति तथा बेरोज़गार डिग्री/डिप्लोमा धारी अभियन्ताओं को पंजीकरण के समय ली जानेवाली धरोहर धनराशि में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

11. ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, के कार्यों/निर्माण परियोजनाओं का ठेका किसी भी अपराधी व्यक्ति को नहीं दिया जायेगा। कोई भी व्यक्ति जिसका अपराधिक इतिहास हो,किसी माननीय न्यायालय द्वारा किसी अपराधिक मामले मे दण्डित किया गया हो अथवा जो माफिया गतिविधियों, गैंगस्टर एवं गुण्डा/असमाजिक गतिविधियों में संलग्न हो उसे ठेका नहीं दिया जायेगा।

जो ठेकेदार पूर्व में ग्रा0अभि0वि0 अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड की श्रेणी में आते हैं वे भी ठेके में भाग नहीं ले सकेंगे। यदि ठेकेदार द्वारा अन्य विभाग अथवा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में ब्लैकलिस्ट अथवा डिबार होने के पूर्व में की गयी कार्यवाही को पाया जाता है, जिसकी जानकारी बाद में प्राप्त होने पर तत्काल निविदा अनुबन्ध निरस्त करते हुए सिक्योरिटी जब्त कर ली जायेगी। पंजीकृत ठेकेदारों तथा ब्लैकलिस्टेड/डिबार किये गये ठेकेदारों की सूची को विभाग की वेबसाइट पर डालकर सार्वजनिक किया जायेगा।

वेब साइट पर फर्म का नाम डालने के साथ ही उस फर्म के प्रोप्राइटर/सभी साझीदारों (जैसा भी केस हो) के नाम भी अवश्य भरे जायेंगे।

ठेकेदारों को कार्य आवंटित करने से पूर्व इस सूची में मिलान अवश्य सुनिश्चित किया जाय। इसके लिए अनुबन्धकर्ता अधिकारी के साथ-साथ सम्बन्धित प्रखंण्ड के प्रखण्डीय लेखाधिकारी, उत्तरदायी होगें।

12. ठेका स्वीकृत होने के पश्चात भी यदि यह तथ्य प्रमाणित होता है कि संबंधित ठेकेदार द्वारा अन्य संभावित निविदादाताओं को धमकाया गया हो अथवा उन्हें निविदा प्रकिया में भाग लेने एवं टेण्डर डालने से रोका गया है तो जिलाधिकारी अथवा पुलिस अधीक्षक से जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात स्वीकृत ठेके को निरस्त कर दिया जायेगा। इसी प्रकार किसी ठेकेदार को ठेका स्वीकृत होने के पश्चात भी यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है और जांच में प्रमाणित पाया जाता है कि संबंधित ठेकेदार/व्यक्ति सकिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यो तथा संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है अथवा अपरोक्ष रुप से संलिप्त पाया जाता है तो उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

13. ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में जो भी व्यक्ति अथवा संस्था ठेकेदारी का कार्य करना चाहेगी उसे स्वघोषणा-पत्र देना अनिवार्य होगा। यह स्वघोषणा-पत्र आर0ई0डी0-टी0-6 के नाम से जाना जायेगा। यह स्वघोषणा-पत्र शपथ पत्र 100/-रूपये (रू0 एक सौ) के स्टैम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर दिया जायेगा। यह स्वघोषणा शपथ-पत्र अनुबन्ध का अनिवार्य अंग है। बिना इसके कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

14. 1.00 करोड़ से कम लागत के कार्यों मे किसी प्रकार की सबलेटिंग अनुमन्य नही होगी। यदि कोई ठेकेदार ठेके को अनधिकृत रूप से किसी अन्य ठेकेदार/व्यक्ति को सबलेट (Sublet) करता है तो उसका अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।

1.00 करोड़ से उपर की लागत वाले निर्माण कार्यों में 25 प्रतिशत तक की सबलेटिग एस0बी0डी0 के सुसंगत प्रस्तरो के अनुसार अनुमन्य होगी।

15. ठेकेदार को अन्तिम रूप से निविदा की स्वीकृति के पूर्व उसकी बिड कैपसिटी का ऑकलन अवश्य किया जाय। ठेकेदार को उसकी बिड कैपसिटी से अधिक का कार्य किसी भी दशा में आवंटित न किया जाय। इसके लिए मुख्य रूप से प्रखण्डीय लेखाधिकारी का दायित्व होगा।

16. ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में कराये जाने वाले समस्त कार्यों तथा सम्बन्धित टेंण्डरों/अनुबंधों का विवरण विभागीय वेबसाइट (http://upred-gov-in)पर प्रदर्शित किये जाने की व्यवस्था अवश्य की जाय। सभी कार्यों/निर्माण परियोजनाओं से संबंधित मुख्य बिन्दुओं अर्थात् परियोजना का नाम, स्वीकृत लागत, धन आवंटन, अनुबन्ध संख्या व दिनांक, खण्ड/परिमण्डल का नाम, अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ होने एवं कार्य समाप्त होने की तिथि, अनुबन्ध के अन्तिमीकरण की तिथि, ठेकेदार का नाम, पता एवं सम्बन्धित अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता के नाम भी विभागीय वेबसाइट (http://upred-gov-in)पर अवश्य प्रदर्शित किये जाय।

17. प्रस्तर–16 मे अंकित विवरण विभागीय वेबसाइट पर डालने का उत्तरदायित्व संबंधित जनपद के सामान्य प्रखण्ड के अधिशासी अभियन्ता का होगा। जनपद में स्थित ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड का उत्तरदायित्व होगा कि वे अनुबन्धों से संबंधित सूचनायें वेबसाइट पर डालने हेतु समान्य प्रखण्ड के अधिशासी अभियन्ता, को सूचना समय से उपलब्ध करा देंगे। संबंधित परिमण्डल के अधीक्षण अभियन्ता और क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता समय–समय पर वेबसाइट को देखकर परिपालन सुनिश्चित करायेगें।

18. ई–टेण्डरिंग व्यवस्था लागू होने के बाद विस्तृत निविदा सूचना के बजाय अब निविदा सूचना से सम्बन्धित संक्षिप्त ई–प्रोक्योरमेन्ट नोटिस जिसमें वेबसाइट का नाम, कार्य का नाम, लागत, निर्माण अवधि तथा निविदा प्रपत्रों का मूल्य आदि का उल्लेख हो, सूचना निदेशक के माध्यम से प्रकाशित कराया जायेगा।

19. ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में प्रचलित टेण्डर फार्म के प्रारूप प्रपत्र सं0–आर0ई0एस0 –टी0–1 आर0ई0एस0–टी0–2 व आर0ई0एस0–टी0–3 जो पूर्व में जारी किये गये थे निम्नवत् लागू होंगे:–

(1) प्रपत्र सं0–आर0ई0डी0–1 यह प्रपत्र चालीस लाख रूपये तक की धनराशि के कार्यों की निर्माण परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाया जायेगा।

(2) प्रपत्र सं0–आर0ई0डी0–टी0–2 यह प्रपत्र चालीस लाख रूपये से अधिक धनराशि के कार्यों/निर्माण परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाया जायेगा।

(3) प्रपत्र सं0–आर0ई0डी0–टी0–3 यह प्रपत्र सामग्री की आपूर्ति के लिए उपयोग में लाया जायेगा।

20. टेण्डर को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने अथवा उस पर अन्तिम निर्णय लेने का कार्य राज्य सरकार द्वारा निम्न प्रकार से अभियन्ताओं को अधिकृत किया गया है:–

• अधिकारी	• कार्य की लागत
• सहायक अभियन्ता	• रू0–2.00 लाख तक की लागत वाले कार्य।
• अधिशासी अभियन्ता	• रू0–40.00 लाख तक की लागत वाले कार्य।
• अधीक्षण अभियन्ता	• रू0–1.00 करोड़ की लागत वाले कार्य।
• मुख्य अभियन्ता	• रू0–1.00 करोड़ से ऊपर की लागत वाले कार्य।

इस संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0–ए–2–1602/दस–95–24–(14)/95, दिनांक 01.06.1995 उल्लेखनीय है। यह व्यवस्था यथावत लागू रहेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की भाँति विभाग के अन्य कार्यों के लिये निविदा के समय धरोहर धनराशि (Earnest Money) के रूप में निविदा मूल्य पर 2 प्रतिशत की दर से व अनुबन्ध के समय जमानत धनराशि (Performance Security) के रूप में 5 प्रतिशत की धनराशि ठेकेदार द्वारा जमा की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त 5 प्रतिशत की दर से धनराशि Retention Money के रूप में ठेकेदार के बीजक से काटी जायेगी।

अनुबन्ध के पश्चात् धरोहर धनराशि (Earnest Money) सम्बन्धित ठेकेदार/निविदादाता को वापस कर दी जायेगी।

21. ठेकेदारों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा (unhealty competition)के कारण कभी–कभी कार्य की अनुमानित लागत से काफी नीचे की बोली/दरों की स्थिति में यदि सक्षम अधिकारी को यह आशंका हो कि ठेकेदारों द्वारा जानबूझकर कम दरें दी जा रही है और इस प्रकार गुणवत्ता के साथ मानको के अनुरूप कार्य पूरा किया जाना संभव नहीं हो पायेगा तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह सामान्य से कम दी गयी दरों के लिये ठेकेदार से औचित्य/ विस्तृत विवरण मांगे। ठेकेदारों द्वारा कम दी गयीं दरों का औचित्य सही न पाये जाने की स्थिति में अनुबन्ध कर्ता अधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी से अनुमोदन के उपरान्त टेण्डर को निरस्त कर सकते है। किन्तु इस सम्बन्ध में एक तथ्यात्मक और Self Speaking order निर्गत करेंगे।

सामान्यतः 10 प्रतिशत कम दरों तक निविदा स्वीकृति पर सीधे ही विचार किया जा सकता है।

22. निर्माण कार्यों में ठेकेदार/फर्म द्वारा कार्य को छोड़कर चले जाने की स्थिति को बचाये जाने के लिए प्रतिशत कम टेण्डर पर कार्य स्वीकृत करने के साथ–साथ

अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफारमेन्स गारन्टी लिये जाने के संबंध में लो0नि0वि0 के शासनादेश सं0-622/23-12-2012-08टी0सी0,दिनांक 08.06.2012 के अनुसार निर्देश दिये गये है। समान्यतः प्राक्कलन से 10 प्रतिशत कम दर पर निविदादाता द्वारा कार्य कराये जाने में कठिनाई नहीं है। अतः 10 प्रतिशत विलो दर तक 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक विलो दर पर 10 प्रतिशत के बाद 1.00 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम दर पर सिक्योरिटी/परफारमेन्स गारन्टी ली जायेगी।

23. सभी मूल (original) कार्यों के लिए सामान्यतः एक कार्य एक टेण्डर का सिद्धान्त अपनाया जाय। विशेष परिस्थितियों में मूल कार्य को टुकड़ों में टेण्डर करने की आवश्यकता होती है तो अधिशासी/अधीक्षण अभियन्ता की तथ्यात्मक रिपोर्ट और स्पष्ट संस्तुति के आधार पर इसका निर्णय संबंधित मुख्य अभियन्ता द्वारा लिया जायेगा। मुख्य अभियन्ता द्वारा इस संबंध में सुविचारित Speaking Order निर्गत किया जायेगा।

24. ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के कार्यों/निर्माण परियोजनाओं का ठेका प्राप्त करने के लिए वर्तमान में विभाग के पंजीकृत ठेकेदार ही अधिकृत हैं। यह व्यवस्था पूर्ववत् लागू रहेगी। ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में पंजीकृत किये जाने वाले ठेकेदारों का विवरण विभागीय वेबसाइट (http://upred.gov.in)पर अपलोड किया जायेगा तथा ठेका देने से पूर्व संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि विभाग में ठेकेदार विधिवत पंजीकृत हों तथा सम्बन्धित ठेकेदार /फर्म अथवा उसका कोई साझीदार कभी भी डिबार अथवा ब्लैक लिस्ट न किया गया हो । इसके लिये प्रखण्डीय लेखाधिकारी के साथ-साथ अधिशासी अभियंता भी उत्तरदायी होगें।

25. ठेका स्वीकृत होने के पश्चात सभी अभिलेखों को प्राप्त कर अनुबन्ध बनाने की कार्यवाही यथाशीघ्र संबंधित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में विभागीय नियमों के अन्तर्गत की जायेगी। किन्तु प्रत्येक दशा में यह औपचारिकतायें 15 दिनों में पूरी करना अनिवार्य होगा। यदि इससे अधिक विलम्ब होता है तो इसकी मूल जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/एवं प्रखण्डीय लेखाधिकारी की होगी। यदि अनुबन्धकर्ता अधीक्षण अभियन्ता होंगे तो देरी के लिये उन्हे भी उत्तरदायी माना जायेगा। समय समय पर मुख्य अभियन्ता भी इसका अनुश्रवण करेंगे।

26. प्रत्येक अनुबन्ध के सापेक्ष कार्य पूर्ण करने की अनुबन्धित तिथि, भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) तथा गुणवत्ता संबंधी टिप्पणी दर्शाते हुए पूर्ण करने की वास्तविक तिथि विभागीय वेबसाइट (http://upred.gov.in)पर अपलोड की जायेगी।यदि ठेकेदार समय पर कार्य पूर्ण नहीं करते है अथवा कार्य बीच में छोड़ देते हैं या खराब गुणवत्ता का कार्य करते हैं तो यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य पूरा करने में अनावश्यक विलम्ब अथवा खराब गुणवत्ता कार्य कराये जाने की दशा में ठेकेदार को नियमानुसार सक्षम स्तर से कारण बताओं नोटिस जारी कर ब्लैकलिस्ट/डिबार किया जायेगा, तथा डिबार अथवा ब्लैकलिस्टिंग करने का आदेश प्रोप्राइटर/साझीदारों के नाम सहित वेबसाइट पर डाला जायेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि कोई समय वृद्धि की स्वीकृति आवश्यक हो तो अनुबन्धकर्ता अधिकारी द्वारा मूल समय का 50 प्रतिशत

एवं इससे अधिक समय सीमा में वृद्धि के लिये अनुबन्धकर्ता अधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी के द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

27. यदि कोई कार्य अनुबन्धित समय से पहले पूर्ण किया जाता है तो कार्य पूर्ण करने की अनुबन्धित समय से जितने प्रतिशत समय पहले पूर्ण किया जाय, सम्बन्धित ठेकेदार को प्रोत्साहन स्वरुप अनुपातिक रुप से अनुभव की धनराशि मे उतने ही प्रतिशत का exlerated लाभ दिया जाय । उदाहरण स्वरुप अनुबन्धित कुल अवधि यदि 9 माह हो और वास्तविक रुप से कार्य 8 माह में अर्थात 1 माह पहले ही पूर्ण हो जाय तो ठेकेदार के अनुभव मे 11.11 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर दी जाय।

28. निविदा का आमंत्रण निविदा स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा ही अपनी निविदा स्वीकृति सीमा तक किया जायेगा परन्तु मुख्य अभियन्ता के अधिकार सीमा वाली निविदाओं की बी0ओ0क्यू0 का अनुमोदन मुख्य अभियन्ता से कराने के बाद ही संबन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निविदा आमन्त्रण किया जायेगा। किसी कार्य की प्रथम बार निविदा आमंत्रण में वेबसाईट पर निविदा के प्रकाशन की तिथि से निविदा खुलने की तिथि के बीच की न्यूनतम अवधि एक माह रखी जायेगी। दूसरी बार में यह अवधि 15 दिन तथा तृतीय एवं तृतीय के बाद वाले आमंत्रण में यह अवधि 7 दिन की रखी जा सकेगी।

अति आवश्यक कार्य होने की दशा में प्रथम बार मे अल्प कालीन निविदा का आमंत्रण भी किया जा सकता है परन्तु इसके लिये निविदा आमंत्रण करने वाले अधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी की अनुमति अनिवार्य होगी।

29. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की गाइड लाईन की भॉति निविदा का मूल्यांकन तकनीकि एप्रेजल समिति द्वारा किया जाएगा, तथा समिति द्वारा किया गया तकनीकी एप्रेजल वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा। निविदादाताओं की शिकायत को सुनने के लिये अधिकतम 5 दिन एवं निस्तारण करने के लिये अधिकतम 5 दिन का समय दिया जायेगा अर्थात 11वें दिन निविदा की वित्तीय बिड खोली जायेगी। शिकायत का निस्तारण तकनीकी एप्रेजल समिति द्वारा किया जायेगा। निविदा के तकनीकी तथा वित्तीय एप्रेजल के प्रारूप का निर्धारण एवं ई–टेण्डरिंग पद्धति में निविदा समिति का गठन निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता द्वारा किया जायेगा।

केवल उन निविदादाताओं की शिकायत का ही संज्ञान लिया जाएगा, जिनके द्वारा संबंधित कार्य पर निविदा दी गई है, अर्थात निविदादाता ठेकेदार/फर्म के अतिरिक्त किसी अन्य के द्वारा की गयी शिकायत का संज्ञान नहीं लिया जायेगा अपितु इसे निविदा कार्य में व्यवधान का प्रयास माना जायेगा।

प्रथम Call में एकल वैध निविदा (Single Tender)को स्वीकार नहीं किया जायेगा। द्वितीय Call में एकल वैध निविदा की स्थिति में निविदा स्वीकर्ता अधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त Speaking Order के साथ एकल निविदा भी स्वीकृत की जा सकती है।

रु0 5.0 लाख तक की सीमा वाले कार्यों के बारे में प्रथम Call पर वैध निविदा प्राप्त न होने की दशा में तथा कार्य की महत्ता एवं अपरिहार्यता को देखते

हुये चयन अनुबन्ध (Selection Bond) का निर्णय अनुबन्धकर्ता अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा जिसके लिये एक स्तर उच्च अधिकारी का अनुमोदन अनिवार्य होगा।

30. केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पत्रांक 005/सीआरडी/012 दिनांक 03.03.2007 एवं 20.01.2010 के अनुसार आवश्यक होने पर ही निगोसियेशन की कार्यवाही की जायेगी।

31. प्राक्कलन का गठन कार्यस्थल की आवश्यक्ता के अनुसार ही किया जाय तथा प्राक्कलन एवं अनुबन्ध में प्राविधानित समस्त मदों को कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। किसी अनुबंधित कार्य में यदि कोई मद डिलीट करना आवश्यक हो–तो अनुबंधकर्ता अधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी। साथ ही अनुबन्ध में प्राविधानित किसी मद को न करने पर क्षेत्रीय अभियन्ताओं द्वारा यदि यह टिप्पणी अंकित की जाती है कि अमुक मद को करने की आवश्यकता नहीं है तो संबन्धित क्षेत्रीय अभियन्ताओं के विरुद्ध दोषपूर्ण प्राक्कलन एवं अनुबन्ध गठन करने के लिये आवश्यक कार्यवाही किया जायेगा।

अनुबन्धित मदों का विचलन लो0नि0वि0 में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार 20 प्रतिशत तक के विचलन की स्वीकृति अनुबन्ध करने वाले अधिकारी द्वारा एवं 20 प्रतिशत से उपर तक के विचलन की स्वीकृति एक स्तर उपर के अधिकारी द्वारा दी जायेगी।

32. मैनुअल टेण्डर की विक्री तथा जमा किये जाने की कार्यवाही निम्न 03 स्थानों से की जायेगी (1) सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता कार्यालय जहाँ से कार्य/निर्माण परियोजनाओं को सम्पादित किया जाना है। (2) सम्बंधित परिमण्डल के अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय (3) सम्बंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर का कार्यालय (कलेक्ट्रे)। उपरोक्त 03 स्थानों से टेण्डर फार्म की विक्री एवं जमा किये जाने की कार्यवाही होगी। इसके अतिरिक्त विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड करके प्राप्त किये जा सकेंगे।

33. मैनुअल टेण्डर फार्म की विक्री तथा जमा किये जाने के लिये उपरोक्त सभी कार्यालयों में विशेष स्थान निर्धारित किया जायेगा जिसकी सूचना जनसामान्य को रहेगी और वहाँ नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। कलेक्ट्रेट में इस कार्य के लिये अलग से स्थान निर्धारित करते हुए कर्मचारियों की ड्यूटी भी जिलाधिकारी द्वारा लगायी जायेगी। कलेक्ट्रेट में इसका सुपरविजन अपर जिलाधिकारी स्तर के एक अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

34. उपरेक्त पैरा 33 में वर्णित तीन स्थानों में टेण्डर की विक्री और जमा करने की कार्यवाही की जायेगी किन्तु निविदा प्रपत्रों को खोलने की कार्यवाही आवश्यकतानुसार केन्द्रीय स्थान यथासम्भव कलेक्ट्रेट/विकास भवन/कार्यालय अधिशासी अभियन्ता/कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता में से सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किसी एक स्थान पर की जाएगी। निविदा खोलने के समय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता द्वारा गठित समिति के समस्त सदस्य उपस्थित रहेंगे। एक पूर्णतया सुरक्षित स्थान पर यह सब कार्यवाही उपस्थित टेण्डरदाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष की जायेगी। आवश्यकतानुसार पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सम्बंधित

पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा की जायेगी। संवेदनशीलता और सुरक्षा की आवश्यकताओं के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा निविदा खोलने के समय उपस्थित रहने हेतु किसी सक्षम अधिकारी को नामित किया जायेगा। पूरी कार्यवाही पारदर्शी एवं सार्वजनिक तरीके से होगी।

35. निविदा खोलने की कार्यवाही निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता द्वारा गठित समिति द्वारा की जायेगी। निविदा खोलने के पश्चात् तुलनात्मक चार्ट बनाकर समिति के सभी सदस्यों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किये जायेगें एवं सक्षम अधिकारी द्वारा निविदा पर निर्णय लिया जायेगा। अभिलेखों की पवित्रता (Sanctity) पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

36. सभी निर्माण कार्यो पर सूचना पट लगाया जायेगा, जिसमें कार्य से संबंधित संक्षित विवरण का अंकन किया जायेगा।

37. अनुबन्ध गठन के पश्चात तत्परता से कार्यस्थल पर संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्य का संरेखण, विशिष्टियों तथा मानचित्र आदि से ठेकेदार को अवगत कराया जायेगा एवं समय–समय पर नियमित रूप से पर्यवेक्षण/निरीक्षण किया जायेगा। कार्य की प्रगति के मध्य में समय–समय पर नियमित रूप से कार्य की मापी कराकर ठेकेदार को माह में प्रत्येक कार्य का कम से कम एक बार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही अवश्य की जाय। इस हेतु प्रत्येक कार्य की साइट ऑर्डर बुक बनायी जाये जिसमें संबंधित अवर अभियन्ता द्वारा कार्य स्थल की प्रत्येक विजिट में उपरोक्तानुसार समस्त विवरणों के साथ ही कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता के संबंध में टिप्पणी अंकित की जायेगी। इसके साथ ही निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा अपने प्रत्येक निरीक्षण में इस पर टिप्पणी अंकित की जाय। साथ ही क्वालिटी कन्ट्रोल रजिस्टर भी मैन्टेन किया जाये तथा भुगतान करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि प्रत्येक साइट विजिट रजिस्टर तथा क्वालिटी कन्ट्रोल रजिस्टर की छायाप्रति देयक के साथ अवश्य संलग्न की जाय। प्रत्येक कार्य के लिए संबंधित खण्डीय लेखाधिकारी द्वारा एम0बी0 की भाँति उक्त दोनो पंजिकायें निर्गत की जायेंगी एवं कार्य समाप्त होने के बाद संबंधित प्रखण्ड में सुरक्षित रखी जायेंगी। कार्यस्थल पर रखे जाने वाले सभी अभिलेखों का दायित्व अवर अभियन्ता का होगा। साइट आर्डर बुक में कार्यस्थल की सभी गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण अंकित करने की जिम्मेदारी संबंधित अवर अभियंता एवं सहायक अभियंता की होगी।

38. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त एक माह के अन्दर ठेकेदार को द्वारा अपना अन्तिम बिल प्रस्तुत करना होगा। इस बिल का सत्यापन एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित अवर द्वारा करना अनिवार्य होगा।

ठेकेदार द्वारा अपना अन्तिम बिल प्रस्तुत न करने की दशा में ठेकेदार को सूचित करते हुये कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि से दो माह के अन्दर कृत कार्य की मापी कर अन्तिम बीजक सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा प्रखण्डीय कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

पूर्ण कार्य का अन्तिम भुगतान दो माह के अन्दर न होने की दशा में दायित्व निर्धारण किया जायेगा।

39. कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि के दो माह के अन्दर कार्य का हस्तान्तरण (भवन की दशा में सम्बन्धित विभाग को एवं पी.एम.जी.एस.वाई. के अतिरिक्त अन्य मार्गों को जिला पंचायत को) करने का दायित्व सम्बन्धित सहायक अभियन्ता का होगा।

हस्तान्तरण के साथ–साथ ही पूर्ण कार्यों का अंकन प्रखण्डीय कार्यालय में रक्षित रोड रजिस्टर/डायरेक्टरी आफ वर्क्स में अंकन करना भी अनिवार्य है। इसका दायित्व प्रखण्डीय संगणक/अवर अभियन्ता (तकनीकी) का होगा।

40. उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति 2013 के अनुसार ग्रामीण सम्पर्क मार्गों पर नवीनीकरण/विशेष मरम्मत कार्य का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड 02 वर्ष होगा। इसका उल्लेख अनुबन्धों में कराते हुए कठोरता से अनुपालन कराया जाय।

41. सामान्यतः ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा लोक निर्माण की विशिष्टियों (Specifications) एवं दरों (Schedule of Rates) को ही लागू किया जाता है अतः शासनादेश में किसी बिन्दु/विषय पर लो0नि0वि0 द्वारा किसी प्रकार के संशोधन/परिवर्तन किये जाने की स्थिति में तदनुसार परिवर्तित/संशोधित व्यवस्था इस विभाग में भी लागू होगी।

42. पूर्व में समय–समय पर निर्गत शासनादेश/निर्देश उक्त निर्देशों से जिस सीमा तक असंगत होंगे, उस सीमा तक निष्प्रभावी होंगे। उक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, ताकि राज्य के विकास और निर्माण कार्यों पर आपराधिक गतिविधियों का दुष्प्रभाव न पड़े और वे विकास में बाधक न बनें।

भवदीय,

(मो0 इफ्तेखारूददीन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-2566(1)/92–1–2018, तद्दिनॉकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) मुख्य अभियन्ता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

(2) समस्त अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0।

(3) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।